

पत्रांक - 02 सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18

रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश

एल0डी0ए0 कामर्शियल काम्पलेक्स, प्रथमतल,

विश्वासखण्ड - 3 गोमतीनगर - लखनऊ।

दिनांक::लखनऊ:: 17 मई, 2017

### आहरण वितरण अधिकारी

मुख्यालय लखनऊ।


रेशम विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/2017/156/74-2-2016-11(ब)/2017 दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय हेतु कुल प्रावधानित धनराशि रू0 2421.89 लाख के सापेक्ष प्रथम पाँच माह हेतु (अप्रैल से अगस्त, 2017) हेतु लेखानुदान रू0 960.91 लाख (रूपये नौ करोड़ साठ लाख इक्यानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन के पश्चात अवशेष धनराशि रू0 1,66,71,000/- (रूपये एक करोड़ छहठ लाख इकहत्तर हजार मात्र) में से रू0 51,24,500.00 (रूपये इक्यावन लाख चौबीस हजार पाँच सौ मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है:-

1. जिन मदों में धनराशि आवंटित की जा रही है उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय की जाय अर्थात् किसी भी स्थिति में मद परिवर्तन न किया जाय।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व एसी स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
3. आवंटित धनराशि का नियमानुसार, जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अथवा प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रत्येक मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय और इसका ध्यान रखा जाय कि दायित्वों का सृजन किसी भी दशा में न होने पाये, यदि किसी प्रकार का ऋणात्मक व्यय किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
5. शासन द्वारा समय-समय पर मितव्ययता से संबंधित निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
6. यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही (माह फरवरी 2018 के अन्तिम सप्ताह) निश्चित रूप से निदेशालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करे।

7. आवंटित की जा रही धनराशि का भुगतान संबंधित को नियमानुसार उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से E-Payment ही किया जाए।
8. आवंटित धनराशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर किया जाए तथा किसी भी दशा में कोषागार से धनराशि आहरित कर बैंक खाते में न रखा जाए। यदि इस प्रकार का प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन एवं प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय रेशम निदेशालय के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं0-10 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-05 पर कर ली गई है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


  
17/5/17  
(कृपा शंकर पाण्डेय)  
निदेशक(रेशम)

पत्रांक सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 तद्विनांकित

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकाय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. व्यय सहायक, मुख्यालय-लखनऊ।
- ✓ 6. वरिष्ठ आडिटर, मुख्यालय लखनऊ।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

  
(पी0सी0 चौधरी)  
वित्त नियंत्रक

पत्रांक ०२ /संसोध/सेवा/आयुक्त/२०१७-१८ दिनांक: १७ मई २०१७ का अनुदानक  
अनुदान सं०- १०- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

२८५१- ग्राम तथा लघु उद्योग-००१-निदेशन तथा प्रशासन- आयोजनेत्तर

०३-अधिष्ठान व्यय, रेशम निदेशालय के अर्न्तगत वर्ष २०१७-१८ के प्रथम पाँच माह हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

(धनराशि रुपये में)

क्र० सं०	आहरण एवं विवरण अधिकारी का पदनाम	वनपद नाम	कोषागार का नाम	मदवार आवंटन														
				मकदूरी	यात्रा व्यय	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	मानदेय	कार्यालय व्यय	विदुल देय	जल क/जल प्रधार	लेखन सामग्री एवं फार्मों को छपाई	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	टेलीफोन पर व्यय	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	किराया, उपसुल्क और कर स्वामित्व	विज्ञापन, और विख्यापन व्यय	
१	२	३	४	०२	०४	०५	०७	०८	०९	१०	११	१२	१३	१५	१६	१७	१९	
१	रेशम निदेशालय, मुख्यालय, लखनऊ	रेशम निदेशालय, भवन, लखनऊ	जवाहर भवन, लखनऊ	५	६	७	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
	उप निदेशक, रेशम			६०५०००	७८०००	८३०००	१५५००	८५०००	५०००००	२०८०००	१०८०००	१०६०००	४००००	८५००००	१२५०००	२०८०००	४२०००	
	योग:-			०५५०००	७८०००	८३०००	१५५००	८५०००	५०००००	२०८०००	१०८०००	१०६०००	४००००	८५००००	१२५०००	२०८०००	४२०००	


३०५५५००

आतिथ्य व्यय	अनुक्षण व्यय	अन्य व्यय	सामग्री एवं सम्पुर्ति	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रारंभिक व्यय	अवकाश यात्रा व्यय	कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	कम्प्यूटर अनुक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	चिकित्सा व्यय	वर्ती व्यय	योग	पूर्व में योजना के अर्न्तगत आवंटित धनराशि का योग	प्रगामी योग
२२	२९	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४९	५१			
१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०
४२०००	२२१०००	१२१०००	८३४०००	५००००	८४०००	१२५०००	९१०००	४५९०००	४२०००	५१२४५००	१६५०००००	२१६२४५००
४२०००	२२१०००	१२१०००	८३४०००	५००००	८४०००	१२५०००	९१०००	४५९०००	४२०००	५१२४५००	१६५०००००	२१६२४५००

( रु० इन्क्यान लाख चौबीस हजार पाँच सौ मात्र)

रेह अंकी का कोड संवर

२ ८ ५ १ ० ० ० ० १ ० ३ ० ०

  
(पी०सी० चौधरी)  
वित्त नियंत्रक